संख्या:-109/2024/आई777302/001-470आ0-23-5002-099-02-2024
(कम्प्यूटर संख्या-1818548)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 23 अक्टूबर, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 4059-80-051-20-00-24 "राजभवन लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य" मद के अन्तर्गत राजभवन लखनऊ में स्थापित 02 अदद् 160 के0वी0ए0 पुराने डी0जी0 सेट के स्थान पर 02 अदद् 400 के0वी0ए0 नये डी0जी0 सेट की आपूर्ति एवं स्थापना के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-500बीजीबी/9(कार्ययोजना)बी0पी0विंग/2024-25, दिनांक 30.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश सं0-32/2024/आई513336/001-418आ0-23-5002-099-01-2023, दिनांक 06.03.2024 द्वारा विषयगत कार्य हेतु रू0 126.18 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 97.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 06.03.2024 द्वारा निर्गत धनराशि लैप्स हो जाने के दृष्टिगत मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र दिनांक 30.09.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-55 के लेखाशीर्षक 4059-80-051-20-00-24 "राजभवन लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य" मद के अन्तर्गत राजभवन लखनऊ में स्थापित 02 अदद् 160 के0वी0ए0 पुराने डी0जी0 सेट के स्थान पर 02 अदद् 400 के0वी0ए0 नये डी0जी0 सेट की आपूर्ति एवं स्थापना के कार्य हेतु लागत रू0 126.18 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष **रू0 12.60 लाख (रू0 बारह लाख साठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
				(धनराशि रू0 लाख में)	
1	500बीजीबी/9(कार्ययोजना)बी0पी0विंग/2024-25, दि0 30.09.2024	लखनऊ	राजभवन लखनऊ में स्थापित 02 अदद् 160 के0वी0ए0 पुराने डी0जी0 सेट के स्थान पर 02 अदद् 400 के0वी0ए0 नये डी0जी0 सेट की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	126.18	12.60
			योग :-	**126.18**	**12.60**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

..../02..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत कार्य की निविदा में प्राप्त बचत की धनराशि को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय।

(5) प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(6) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट ओवररन/टाइम ओवररन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खातें में नहीं रखी जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(10) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(11) उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस, मूल्य ह्रास निधि तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 12,60,000(रूपये बारह लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखाशीर्षक 4059800512000 राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या-109/2024/आई777302/001-470आ0(1)-23-5-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- अधीक्षण अभियन्ता, 17वां(वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10
11- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।